28.10.25 आख्यक्त किए गई।

कि अपील याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा तलब की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में इस आख्यक्त की कार्यवाही को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं बचा है।

निस्तारित आख्यक्त की कार्यवाही को इसी स्तर पर खत्म की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:53:41 IST
Reason: SelfAttested